



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 882]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2014/चैत्र 21, 1936

No. 882]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2014/CHAITRA 21, 1936

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

**का.आ. 1074(अ).**—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी (संशोधन) नियम, 2014 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियम, 2012 में नियम 5 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(2क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक समिति, जिसमें कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अध्यक्ष होंगे और / केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों के अन्य सदस्य होंगे, प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी तथा इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर उनकी पात्रता का निर्धारण करने और तुलनात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात् सरकार के विचारार्थ अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

(2ख) यदि समिति, उप-नियम (2क) के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे तो उस राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकती है, जहां कोयला से युक्त क्षेत्र स्थित है”।

[फा.सं. 13016/26/2004-सीए-I/सीए-III]

ए.के. भल्ला, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम अधिसूचना सं.का.आ. 207(अ) तारीख 02 फरवरी, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और सं. का.आ. 3008(अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2012 तथा सं.का.आ. 737(अ) दिनांक 11 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF COAL****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2014

**S.O. 1074(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby specifies the following rules to amend the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012, in rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

“(2A) A Committee, constituted by the Central Government, consisting of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal as Chairperson and such other members nominated from the other Ministries or Departments of the Central Government, shall consider the applications received and after assessing their eligibility based on the criteria specified in this regard and after comparative evaluation, submit its recommendations to the Central Government for its consideration.

(2B) The Committee may, if it considers necessary for the purpose of sub-rule (2A), invite representatives of the State Government, where the area is located.”.

[F. No. 13016/26/2004-CA-I/CA-III]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

**Note :** The Principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 207 (E), dated 2nd February, 2012 and was amended *vide* notifications published in Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (ii), *vide* numbers S.O. 3008(E), dated 27th December, 2012 and S.O. 737(E), dated 11th March, 2014.